

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

(शिविर स्थान)

आदेश

दिनांक

2022/17

12.3.22

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी

व. भू. अ. नि

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

नायब तहसीलदार

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम

तहसील

जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सांगोलीया सांगोलीया	119	ललताबाई सीताबाई प्राज्ञेया शंभूदयाल पुत्र चतरा	ललताबाई सीताबाई प्राज्ञेया शंभूदयाल मोइसाल

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

सांगोलीया जिला कोटा

क्रमांक :- 21/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद

2. प्रार्थी श्री

3. रक्षित पत्रावली

दिनांक :- 12.3.2022

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

सांगोलीया जिला कोटा